



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092024-256957
CG-DL-E-06092024-256957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 540(अ).—कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी दिनांक 14 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सा. का. नि. 99 (अ) [फाइल सं. 11031/03/2021- ए.आई.एस. II (क)] के पृष्ठ सं. 4, पैरा 2 पर तालिका की पंक्ति 12 में आंशिक संशोधन करते हुए पद नाम "रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां" को "आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 11031/03/2021-ए.आई.एस. II (क)]
भूपिन्दर पाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th September, 2024

G.S.R. 540(E).—In partial modification of the Notification G.S.R. 99(E) dated 14th February, 2023 [File No. 11031/03/2021-AIS-II (A)] issued by the Ministry of Personnel, P.G. & Pensions (Department of Personnel & Training), at page no.4, in line 12 of table at Para 2, the post name "Registrar, Co-operative Societies" may be read as "Commissioner, Co-operative & Registrar, Co-operative Societies".

[F. No. 11031/03/2021-AIS-II (A)]
BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.